

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या 332<sup>9</sup>/ओ0एस0डी0-कैम्प/2023

दिनांक 08 जुलाई 2023

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण  
नई दिल्ली।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-595/2022 सरिता सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 05.04.2023 का अनुपालन कर नियत प्रारूप पर आख्या चाही गयी है।

उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना के पत्र सं0-609/एस0 टी0-मवाना/2023 दिनांक 20.06.2023 द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या संलग्नको सहित निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर PDF/E-MAIL ID के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार आख्या PDF/E-MAIL ID के माध्यम से [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) पर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(दीपक मीणा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
मेरठ।

कार्यालय उप ~~56~~ अधिकारी मवाना (मेरठ)

संख्या- 609 / एस0टी0-मवाना / 2023-24

दिनांक : 20-06-2023

जिलाधिकारी,  
मेरठ।

842

R.O. PCB

जिलाधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट

मेरठ। 21/6/2023

महोदय,

कृपया आपके पृष्ठांकन आदेश संख्या-1479 दिनांक 20-04-2023 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत माननीय हरित अधिकरण दिल्ली Item no 4 (Court no 2) Original Application no 595/2022 Sarita Singh Versus State of UP & ors. जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा पूर्व सुनवाई तिथि 05-04-2023 को ग्राम नंगला गौसाई, परगना किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ में झील भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार मवाना से जांच करायी गयी, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि, "माननीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0न0-595/2022 में पारित आदेश दिनांक 19-09-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना संख्या-1215/एस0 टी0-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के द्वारा अवैध कब्जाधारको के दिरुह की नयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी, जो साथ में संलग्न है। तदुपरान्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) कर अवैध कब्जा धारको की सूचना चाही नयी थी जो साथ में संलग्न है।" अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार मवाना की जाँच आख्या नूत रूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी  
मवाना।

महोदय ,

संलग्न - पत्र मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली Item no 4 ( Court no 2 ) Original Application no 595/2022 Sarita singh versus State of U P & ors . जिराके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा पूर्व सुनवाई तिथि 05/04/2023 को ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ में झील भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप ( संलग्न ) पर जांच आंख्या चाही गयी है

600/RI/P उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए०न० - 595/2022 में पारित आदेश दिनांक 19-09-2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यालय उपजिलाधिकारी मवाना संख्या 1215/एस०टी-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसम्बर 2022 के द्वारा अवैध कब्जाधारको के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जो साथ में संलग्न है तदोपरांत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) कर अवैध कब्जा धारको की सूचना चाही गयी थी जो साथ में संलग्न है

आख्या सेवा में सादर अग्रोत्तर कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

Shivam Kumar  
17/06/2023  
शिवम कुमार  
(लेखपाल)

प्रेषित।  
S.A.  
6  
17/6/23

महोदय .

हू 34 तहसील मवाना

आख्या लाइट प्रेषित है।

17/06/2023  
नायब तहसीलदार  
परीक्षितगढ़

सुरेश शर्मा  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र

20/6/23  
तहसीलदार  
मवाना (मेरठ)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली द्वारा निर्धारित धारूप (सलंगन) पर  
चाही गयी सूचना से सम्बन्धित खसरा नम्बरानो पर मकान ( कच्चा/ पक्का) व कृषि  
द्वारा अतैध व शेष भूमि का चिचरण निम्न प्रकार

क्र स०	खसरा स०	क्षेत्रफल (है० मे)	द्वारा मकान (कच्चा/ पक्का)	द्वारा कृषि	शेष क्षे० (है० मे)	विशेष विवरण
1	538मि०	0.4050 है०	-----	-----	0.4050 है०	मौके पर वन है
2	569मि०	39.1150 है०	1.4159 है०	13.2368 है०	24.4623 है०	-----
3	571/1/1मि०	1.9600 है०	-----	-----	1.9600 है०	-----
4	572मि०	14.8840 है०	0.5341 है०	4.4219 है०	9.9280 है०	-----
5	600मि०	14.0620 है०	-----	4.7400 है०	9.3220 है०	-----
6	602/1	0.6320 है०	-----	-----	0.6320 है०	-----
7	607/2/1	0.0250 है०	-----	-----	0.0250 है०	-----
8	624/1मि०	0.1770 है०	-----	-----	0.1770 है०	-----
9	622मि०	0.2280 है०	-----	-----	0.2280 है०	-----
योग	09	71.4880 है०	1.9500 है०	22.3987 है०	47.1393 है०	—

*Shivam Kumar*

17/06/2023

शिवम कुमार

सम

अतिरिक्त

SA.  
6/17/6/23

सुरेश शर्मा  
राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र